

21.5.18

पञ्जाबली भाषा राज्य लोक सेवा आयोग के
 अधीन कक्षा 17 पर परीक्षा आयोजित
 किया गया। इस परीक्षा पर P/S 177
 P.S. Act 1955 द्वारा तदधीनका राजस्व
 पर लागू अधिकृत किया है, कि ग्राम भोले
 की खसमे 301 कुठ (कवा) 0.72 हे. म. 10
 हे. म. 305 (कवा) 0.05 हे. म. 10 अर्थात् दोनों
 खसमे. म. 0.15 हे. म. 10 अर्थात् गिरा द्वारा
 बिना किसी समय लीकरी के छवि कार्य
 की अन्तर्गत मोबाइल टावर लगवा दिया
 है।

अर्थात् गिरा को इस काम में सूचित
 किया कि उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से
 काल मोबाइल टावर मोबाइल टावर
 लगवा लिया है। अर्थात् गिरा को उक्त
 काम को गन्वट करवाने या मोबाइल
 टावर हटवाने हेतु पर्याप्त एवं सुनिश्चित
 मुद्दा अवसर दिया गया। अर्थात् गिरा
 द्वारा एक बार लिखित अवसर ही दिया
 कोई समाधान हेतु कार्य नहीं किया

ख. नं: 301 व 306 की किल्लि चाही इत है,
 जो नि:खंडेह खबि योगम अमि ही उध्दा
 अमि पर अग्रामीगठा डारा मोबाइल रावट
 लगा कर ऐसा कार्य किया है, जिसके
 परिणाम स्वकप खबि अमि पर खेती काला
 संभव नहीं रहा है। अमिल अग्रामीगठा
 डारा हानिपूर कार्य किया गया है।
 अग्रामीगठा का खल्य R. J. H. E. E.
 1955 की धारा 177 की तारीफ में आता

अ
 प्रकल के गुणावतुण पर सम्मक
 विचारणापरान्त हम यह पाले है,
 कि अमिल पब अमि लीकाल योगम
 है।

अतः अमिल पब अमि लीकाल
 किया जाकर यह आदेश दिये जाते
 है, कि ग्राम बोल्ड की अमि आराजी
 खसरा नम्बर 301 कवा 0.72 है,
 में 0.10 हेक्टर तया ख. नं 306
 कवा 0.05 हेक्टर को कठजे राज
 किया जाकर सिवाय चक सकार
 खाते में दर्ज की जावे।

धारा 178 के प्रावधानों के
 तहत इस आदेश के 90 दिवस
 के भीतर-भीतर यदि अग्रामीगठा

तारीख
हुक्म

राजस्व लो
स्थान

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा

तारीख
हुक्म

उक्त शूमि पर से मोबाइल राबल एडा
कर शूमि का पुनः काल हेव प्रयोग
कामे लग जावे या शूमि का विधि-
वत सुविधा-सुवत वारीके से संपीकन
शुल्क जमा कवा कर संपीकन
कवा लेते है तो शूमि का राजहक
में लाने की कार्यवाही वरीं की
जावे। अजले बाद मियाद यह
भादेश प्रभावी होगा। अग्रार्थिगो
का भादेश की प्रति उपलब्ध
कवाई जावे।

निर्णय आज दि० 21.05.18

का मेटे द्वारा लिखाया जाकर
राजस्व लोक बदलत केस्य बड़ी-
रिया कलां पर सुनाया। प्रभावी
फैलत सुमार की जाकर बाद -
लाभीत वकरीत दारिकत कन्त ही।

हुक्म
21/5/2018
(हुला गोपाल जाजन)
R.A.S.
उपावोड अधिकारी
रामगंजमोडी